



प्रेस विज्ञप्ति

15/10/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-जोनल कार्यालय ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में चल रही जांच के संबंध में 31.07.2024 को हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के अध्यक्ष सैयद इशरत हुसैन जाफरी और 06 अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय, लखनऊ ने 14.10.2024 को अभि. शिका. का संज्ञान लिया है।

ईडी ने छात्रवृत्ति घोटाले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई खुफिया जानकारी और प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने अपने संस्थानों में नाम मात्र के लिए फर्जी/डमी छात्रों को दाखिला दिलाया और सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों के लिए सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाना था। इस संबंध में सभी औपचारिकताएं संस्थानों ने विभिन्न एजेंटों के माध्यम से खुद ही पूरी कीं। इस प्रकार प्राप्त छात्रवृत्ति को कॉलेजों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद नकद में निकाल लिया गया या अंततः मालिकों/प्रबंधकों/ट्रस्टियों या परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, उनके कार्यों के परिणामस्वरूप जरूरतमंद और वास्तविक छात्रों को वंचित करके करोड़ों रुपये के सरकारी धन का गबन किया गया।

इस मामले में अब तक 06 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अली अब्बास जाफरी, इजहार हुसैन जाफरी, रवि प्रकाश गुप्ता को 26.04.2023, विक्रम नाग को 24.08.2023, राम गोपाल को 06.10.2023 और शिवम गुप्ता को 01.03.2024 को गिरफ्तार किया गया।

अब तक इस मामले में 01 मुख्य अभियोजन शिकायत और 03 पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई हैं और ईडी द्वारा दायर इन सभी शिकायतों में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। अब, चौथी पूरक पीसी सैयद इशरत हुसैन जाफरी के साथ-साथ एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन प्रवीण सिंह चौहान, जेपी वर्मा इंटर कॉलेज के प्रबंधक विवेक कुमार, ज्ञानवती इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुधीर कुमार, जेपी वर्मा कॉलेज में प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति यशवंत सिंह कनौजिया, अभिनव के खिलाफ दायर की गई है। आरपीपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक कन्नौजिया और फिनो पेमेंट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सचिन दुबे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक कुल जब्ती 41.5 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है।